न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 101 / 2019

प्रार्थी:–

चौथीया पुत्र साकरीया जाति मेघवाल निवासी वावनगर तहसीलल सिवाना जिला वाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. कमला पत्नी सकाराम
2. कान्तीलाल पुत्र सकाराम
3. गणपत पुत्र सदराराम
4. ढगीदेवी पत्नी सदराराम
5. फौजा पुत्र सदराराम
6. वाबुलाल पुत्र सकाराम
7. मागाराम पुत्र नरसाराम
8. मोहन पुत्र सदराराम
9. वसना पुत्र सदराराम
10. सुजा पुत्र सदराराम
    सभी जातियान मेघवाल निवासीयान वावनगर तहसील सिवाना
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
12. एसबीआई बैंक शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला वाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम कायम करवाने बावत् रास्ता

–: आदेश :–

दिनांक :– 26.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम वावनगर पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना में खेत खसरा नम्बर 1726 रकवा 8.8261 हैक्टयर की आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत के बदिशा दक्षिणी पूर्व में स्थित विप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1932 / 1724 रकवा 99 बीघा में से होते हुए खसरा संख्या 1738 रकवा 7.8833 मै.मु.गोचर के पश्चिम रोढे से लगते हुए आगे रामसर कटाण सडक मार्ग तक जाता है। इस मार्ग का प्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विगत पीढियों से सुचारू रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते पर आवागमन के बाबत विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करते हैं। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1726 से कटान मार्ग तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1932/1724 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 9 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई विप्रार्थी संख्या 8 व 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता कैलाशपुरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 8 व 10 के वकील द्वारा जवाब का अवसर लिये जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट क्रमांक राजस्व/2017/4650 दिनांक 25.11.2019 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1932/1724 से दक्षिणी पूर्वी माठ से खसरा संख्या 1738 रकबा 7.8833 गै. मु. गोचर के पश्चिमी सेढे से लगते हुए 20 फीट रास्ते की मांग की है प्रार्थी द्वारा मांग की गई रास्ते पादरू से कांखी वाया वावनगर डामर सडक से बिन्दू B से C जो की खसरा संख्या 1738 गै.मु.गोचर है मौके पर रास्ता चालू है व बिन्दू संख्या A से B जो कि विप्राथीगण कमलादेवी वगैरह का खातेदारी खेत है बिन्दू संख्या A से B के बीच चाहे गये रास्ते में एक कच्चा झौपा बना हुआ है प्रार्थी पहले अपने खेत में आवगमन नक्शा में बताये अनुसार बिन्दू संख्या D से E खसरा संख्या 1725 व E से F खसरा सख्या 1932/1724 मे होकर करता था परन्तु खसरा संख्या 1932/1724 के खातेदारो द्वारा खेत के बीच में चल रहे रास्ते को बन्द कर अपने ही खसरा संख्या 1932/1724 के पश्चिमी माठ से सहारे बिन्दू संख्या H से I रास्ता चालू कर दिया जो कि आज भी चालू है परन्तु 1725 के खातेदारो द्वारा मौके पर रास्ता G से H बन्द कर दिया गया है जो कि राजस्व रेकर्ड में कटाण मार्ग नहीं हैं प्रार्थी के खेत मे से कटाण हेतु प्रस्तावित रास्ते की चौडाई x लम्बाई बिन्दु संख्या A से B तक 2 x 30 गट्ठा = 0.03 बिस्वा बनती है तथा बिन्दु संख्या B से C तक चौडाई x लम्बाई 2 x 120 गट्ठा = 0.03 बिस्वा बनती है जिसकी किस्म गै.मु.गोचर है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट अनुसार प्रार्थी के खेत में आवगमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नक्शा में बताये अनुसार बिन्दू संख्या D से E, E से F खसरा संख्या 1932/1724 मे होकर था परन्तु खसरा संख्या 1932/1724 के खातेदारो द्वारा खेत के बीच में चल रहे रास्ते को बन्द कर अपने ही खसरा संख्या 1932/1724 के पश्चिमी माठ से सहारे बिन्दू संख्या H से। रास्ता चालू कर दिया जो कि आज भी चालू है परन्तु 1725 के खातेदारो द्वारा मोके पर रास्ता G से H बन्द कर दिया गया है बिन्दू संख्या A से B के अतिरिक्त प्रार्थी को कटान मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है बिन्दू संख्या A से B "बरंग लाल" रास्ता सबसे नजदीकी विकल्प है। ऐंसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तावित प्रार्थी के खातेदारी भूमि मौजा बावनगर के खेत खसरा नम्बर 1726 के आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1932/1724 में से रास्ता अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व/2017/4650 दिनांक 25.11.2019 के संलग्न के मौका फर्द दिनांक 08.11.2019 के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शाए A से B "बरंग लाल" प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 1726 ग्राम बावनगर पटवार मण्डल पादरू में आने-जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा बावनगर के खसरा नम्बर 1932/1724 में से 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ठ मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को आदेश का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की आदेश दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा जो डीएलसी द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचलित दर की दो गुना के बराबर होगी। प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई के रास्ता मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज होगी प्रार्थीगण के इस प्रकार नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई भूमि को रास्ते के रूप में मौका फर्द दिनांक 08.11.2019 के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई A से B तक उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आर्जित नहीं होगे। रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्बन्धित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा मौका फर्द दिनांक 08.11.2019 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नजरी नक्शा अनुसार नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई रास्ता A से B तक मौजा वावनगर पटवार मण्डल पादरू के खेत खसरा संख्या 1726 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1932/1724 मे से दिए जाने के आदेश दिया जाते है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई में रास्ते की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थीगण को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2017/4650 दिनांक 25.11.19 प्रेषित मौका फर्द दिनांक 08.11.2019 के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 26.02.20 को ... बाये ... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:53 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)